By-Email

पत्रांक–म०भो०/को०–104/2013 ...../

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय, जमुई ,सुपौल एवं पूर्णियाँ।

प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना।

वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषयः मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के तृतीय त्रैमास में अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन के संबंध में।

प्रसंग i. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय का पत्रांक– 2139 दिनांक– 29.11.2013।
ii. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक– 515 दिनांक– 29.11.2013।
iii. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, सुपौल का पत्रांक– 1839 दिनांक– 09.12.2013।
iv. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पत्रांक– 1214 दिनांक– 14.12.2013।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक वित्तीय वर्ष 2013–14 के तृतीय त्रैमास का उपावंटन इस निदेशालय का पत्रांक–2382 दिनांक 30.09.2013 के द्वारा किया जा चुका है, परन्तु कुल लाभान्वितों की संख्या औसत लाभान्वित से अधिक होने के कारण क्रमशः बेगूसराय, जमुई, सुपौल एवं पूर्णियाँ जिलों द्वारा अतिरिक्त खाद्यान्न की माँग की गई है। अतएव इन जिलों को तृतीय त्रैमास (अक्टुबर– 2013 से दिसम्बर–2013) के लिए निम्न प्रकार जिलावार अतिरिक्त खाद्यान्न उपावंटित किया जाता है–

क्रम सं०	जिला का नाम	वर्ग I-V			वर्ग VI-VIII		
		तृतीय त्रैमास का मूल आवंटन (मात्रा MT में)	तृतीय त्रैमास में अतिरिक्त आवंटन (मात्रा MT में)	कुल आवंटन	तृतीय त्रैमास का मूल आवंटन (मात्रा MT में)	तृतीय त्रैमास में अतिरिक्त आवंटन (मात्रा MT में)	कुल आवंटन
1	बेगूसराय	1124.4	505.1	1629.5	677.66	0	677.66
2	जमुई	767.24	320	1084.24	364.08	0	364.08
3	सुपौल	864.21	300	1164.21	475.61	0	475.61
4	पूर्णियाँ	1403	511.41	1914.41	610.3	0	610.3
	कुल	**4158.85**	**1636.51**	**3877.95**	**2127.7**	**0**	**2127.7**

2. भारत सरकार से प्रथम त्रैमास में प्राप्त कुल खाद्यान्न का आवंटन, जिलो को उपावंटित खाद्यान्न तथा आकस्मिकता हेतु सुरक्षित खाद्यान्न की विवरणी इस प्रकार है–

भारत सरकार से तृतीय त्रैमास 2013–14 का प्राप्त आवंटन (मात्रा MT में)		जिलों को तृतीय त्रैमास 2013–14 में कुल उपावंटन पत्रांक–2382 दिनांक 30.09.2013(मात्रा MT में)		तृतीय त्रैमास 2013–14 में आकस्मिकता हेतु सुरक्षित कुल खाद्यान्न (मात्रा MT में)		पूर्व में निर्गत अतिरिक्त आवंटन (मात्रा MT में) पत्रांक–2730 दिनांक–04.12.2013		कुल अवशेष खाद्यान्न (मात्रा MT में)	
वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII
41472.73	21903.27	38364.14	21134.08	3108.59	769.19	1472.072	769.19	0.00	0.00
						वर्तमान में निर्गत अतिरिक्त आवंटन (मात्रा MT में)			
						1636.51	0.00		
कुल निर्गत आवंटन						3108.59	769.19		

3. इन जिलों के लाभान्वित छात्रों की संख्या औसत लाभान्वित (नामांकन का 55%) छात्रों की संख्या से अधिक है। इसी कारणवश इन जिलो को अतिरिक्त आवंटन दिया जा रहा है। वर्ग VI-VIII में आकस्मिकता हेतु सुरक्षित खाद्यान्न नही रहने के कारण , इस मद में खाद्यान्न नही दिया जा रहा है। यदि आपका आवंटन कम या ज्यादा हो तो आप अवश्य इसकी सूचना देंगे।
4. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विद्यालय के पास एक माह तक उपभोग किए जाने हेतु खाद्यान्न का स्टॉक उपलब्ध रहे, ताकि आकस्मिक परिस्थिति में योजना बाधित नहीं हो।
5. भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उसके गोदाम में हमेशा खाद्यान्न उपलब्ध रहे, जो किसी भी परिस्थति में Fair Average Quality (FAQ) से कम गुणवत्ता का न हो। भारतीय खाद्य निगम एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखेगा।
6. राज्य से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् जिला प्रशासन, खाद्यान्न की आवश्यकता, परिवहन की सुविधा एवं भंडारण की क्षमता के आलोक में खाद्यान्न के उठाव हेतु Schedule स्थानीय भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध करायेगा। जिला Schedule के अतंर्गत मासिक, द्विमासिक अथवा त्रैमासिक आधार पर खाद्यान्न का उठाव कर सकता है।
7. राज्य सरकार के आवंटन के आधार पर खाद्यान्न उठाव हेतु जिला प्रशासन द्वारा दिए गए Schedule के आलोक में भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उपलब्ध करायेगा। जिस त्रैमास के लिए खाद्यान्न का आवंटन होगा, उस त्रैमास के पूर्व के माह की पहली तारीख से उस त्रैमास के अंतिम माह की 25 वीं तारीख के बीच खाद्यान्न के उठाव की अनुमति भारतीय खाद्य निगम को देनी होगी। उदाहरणार्थ, अप्रैल–जून, 2010 के त्रैमास हेतु खाद्यान्न के उठाव की वैधता 01 मार्च, 2010 से 25 जून, 2010 तक होगी। खाद्यान्न के उठाव की मात्रा में भारतीय खाद्य निगम कोई परिवर्त्तन नहीं करेगा। खाद्य एवं लोक वितरण विभाग के पत्रांक 4–3/2008–9–BP-II, दिनांक 09.09.2009 एवं भारतीय खाद्य निगम के पत्रांक 26.01.2009–10/MDM-S-IX/Vol II, दिनांक 16.11.2009 द्वारा भारतीय खाद्य निगम के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है।
8. जिला प्रशासन एवं भारतीय खाद्य निगम के डिपो यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित खाद्यान्न से अधिक खाद्यान्न का उठाव नहीं हो।
9. भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी के संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के पश्चात् यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न FAQ गुणवत्ता वाला है। Consignee receipt (तीन प्रतियों में) भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उक्त प्राप्ति की एक प्रति उठाव करने वाले पदाधिकारी के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति जिला स्तर पर भुगतान करने वाले पदाधिकारी के पास रिकार्ड के रूप में रहेगी।
10. किसी माह में आपूर्त्ति किए गए खाद्यान्न का बिल भारतीय खाद्य निगम अगले माह की 10 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध करायेगा तथा जिला

प्रभारी, मध्याह्न भोजन योजना उस बिल का भुगतान जाँचोपरान्त 20 दिनों के अंदर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन योजना के लिए दिये जाने वाले खाद्यान्न में से तीन नमूने लिये जायेंगे और संयुक्त रूप से तीनों नमूनों को सील किया जायेगा। एक नमूना जिला प्रशासन के पास, एक नमूना भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय के पास और एक नमूना भारतीय खाद्य निगम के डिपो के पास रहेगा।

इन नमूने को तीन माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। यदि इस अवधि में खाद्यान्न में गुणवत्ता की शिकायत आती है तो इस नमूना से उसका मिलान किया जा सकेगा। खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को खाद्यान्न स्थानान्तरित करने के हर स्तर पर अपनाया जायेगा, जब तक कि यह खाद्यान्न बच्चों के उपयोग हेतु स्थल पर नहीं पहुँच जाता है।

12. भारतीय खाद्य निगम अपने बैंक खाता संख्या तथा भुगतान प्राप्त करने के मोड की जानकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को देंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना का दायित्व होगा कि वे खाद्यान्न की राशि का हस्तांतरण उस खाते में करेंगे अथवा उसमें चेक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक अथवा उनके प्रतिनिधि और सभी अन्य संबंधित पदाधिकारियों की जिला प्रशासन के साथ प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न के उठाव, खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भुगतान के संबंध में मासिक बैठक होगी तथा अगले माह की 7 वीं तारीख तक राज्य मुख्यालय (मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय) को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।

14. पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अगले 10 तारीख तक निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार को उपलब्ध करा देंगे जिससे यह प्रतिवेदन राज्य स्तर पर संकलित करते हुए 15 तारीख तक भारत सरकार को भेजा जा सके।

15. MIS के माध्यम से विद्यालयवार खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित Computer Generated Advice के अनुसार ही विद्यालयवार खाद्यान्न का उपावंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

16. सभी प्रासंगिक पत्रों के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन
ह०/–
(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ...../ पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि–जिला मध्याह्न भोजन योजना, प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय, जमुई, पूर्णियाँ एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2902 / पटना, दिनांक 23-12-2013

प्रतिलिपि–डाटा ऑफिसर–सह–सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे इस आवंटनादेश को MDM के वेवसाइट पर अपलोड करेंगे।

23.12.
(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।